9/कोर्ट–10–35/2011

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

डॉ० रविकान्त मिश्रा, तत्कालीन वि०पदा० अति० प्रा० स्वा० केन्द्र शेरपुर, बेगूसराय को अपने पदस्थापन स्थान पर योगदान न कर दिनांक–23.06.1998 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, आदेश की अवहेलना करने एवं सरकार को गलत तथा भ्रामक सूचना देकर गुमराह करने के आरोप में स्वा० विभाग के अधिसूचना सं०–474(9), दिनांक–12.04.2004 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प सं०–712(9), दिनांक–29.05.2004 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम से असहमति के बिन्दु पर स्वा० विभाग के पत्रांक–1968(9), दिनांक–01.11.2004 द्वारा डॉ० मिश्रा से द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गई। डॉ० मिश्रा से प्राप्त कारणपृच्छा समीक्षोपरांत असंतोषप्रद पाया गया। डॉ० मिश्रा की अनाधिकृत अनुपस्थिति पाँच वर्षों से अधिक थी इसलिए समीक्षोपरांत बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत विभागीय संकल्प सं०–447(9), दिनांक–15.04.2008 द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया।

2. उपर्युक्त दण्डादेश के विरूद्ध डॉ० रविकान्त मिश्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० सं०–15319/2008 दायर किया गया जिसमें दिनांक–05.08.2014 को पारित न्यायादेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डॉ० मिश्रा के बर्खास्तगी संबंधी संकल्प सं०–447(9) दिनांक–15.04.2008 को रद्द करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार को अधिगम के आलोक में निर्णय लेते हुए आदेश पारित करने का निदेश था, जिसके विरूद्ध सरकार की ओर से एल०पी०ए० सं०–714/2015 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम डॉ० रविकान्त मिश्रा दायर किया गया। जिसमें दिनांक–20.02.2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:–

"The Principal Secretary, Department of Health, govt. of Bihar, therefore is directed to issue an order within a period of four weeks converting the order of dismissal into one of compulsory retirement from the date the said order was passed.

Apeal stands dispossed off otherwise not interfering the order of the learned single Judge."

3. उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में विधि विभाग एवं विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श के उपरांत विभागीय स्तर पर समीक्षोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

(क) डॉ० रविकान्त मिश्रा को बर्खास्त करने संबंधी संकल्प सं०–447(9), दिनांक–15.04.2008 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार रद्द करते हुए उनको बर्खास्तगी की तिथि दिनांक–15.04.2008 से अनिवार्य सेवानिवृति का दण्ड अधिरोपित किया जाए।

(ख) एल०पी०ए० सं०–714/15 में सुनवाई के क्रम में वादी (डॉ० रविकान्त मिश्रा) द्वारा दायर प्रतिशपथ पत्र में दिए गए Under taking के आलोक में डॉ० मिश्रा को उनकी अनुपस्थिति अवधि एवं निलंबन अवधि के लिए कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

(ग) डॉ० मिश्रा के बर्खास्तगी संबंधी दण्डादेश के अनिवार्य सेवानिवृत्ति में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से परिवर्तित किया जा रहा है। इसलिए यह अन्य मामलों में पूर्वोदाहरण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. अतः एल०पी०ए० सं०–714 / 2015 में दिनांक–20.02.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में डॉ० रविकान्त मिश्रा, तत्कालीन चि०पदा०, अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र शेरपुर, बेगूसराय के बर्खास्तगी के दण्डादेश को उपर्युक्त कंडिका–3 की उपकंडिका (क), (ख) एवं (ग) के शर्तों के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दण्ड में परिवर्तित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 818(9) **/स्वा0, पटना ,** **दिनांकः** 03/08/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना / अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी गोपालगंज / बेगूसराय / क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं सारण प्रमंडल छपरा / मुंगेर प्रमंडल मुंगेर / सिविल सर्जन गोपालगंज / बेगूसराय / सचिव बिहार लोक सेवा आयोग / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डॉ० रविकान्त मिश्रा, तत्कालीन चि०पदा० अति० प्रा० स्वा० केन्द्र शेरपुर, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव / प्रधान सचिव (स्वा0) के निजी सहायक / निदेशक प्रमुख (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव